



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]

नई दिल्ली, बुधवार नवम्बर 29, 2017/अग्राहायण 8, 1939

No. 452]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 8, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2017

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-69, 82/2017.— चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश मामला सं. 1/1999 में तारीख 25 अप्रैल, 2017 को यह आदेश किया है कि श्री डी.के. अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 46-ए, माधव कुंज, प्रताप नगर, आगरा-282010 (सदस्यता सं. 016535) के नाम को, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले 'अन्य अवचार' का दोषी पाए जाने के कारण पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह और अधिसूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश मामला सं. 2/1999 में तारीख 28 सितंबर, 2017 को यह आदेश किया है कि श्री डी.के. अग्रवाल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 46-ए, माधव कुंज, प्रताप नगर, आगरा-282010 (सदस्यता सं. 016535) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले 'अन्य अवचार' का दोषी पाए जाने के कारण स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री डी.के. अग्रवाल का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से स्थायी रूप से सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन—III/4/असा./319/173]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2017

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No.29-CA/LAW/D-69, 82/2017.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference Nos. 1 of 1999 ordered on 25th April, 2017 that the name of Shri D.K. Agarwal, 46-A, Madhav Kunj, Pratap Nagar, Agra- 282010 (M.No.016535) be removed from the register of members for a period of five years for having been found guilty of "Other Misconduct" falling under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949.

It is further notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has in another case, in pursuance to Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference Nos. 2 of 1999 ordered on 28th September, 2017 that the name of Shri D.K. Agarwal, 46-A, Madhav Kunj, Pratap Nagar, Agra- 282010 (M.No.016535) be removed from the register of members permanently for having been found guilty of "Other Misconduct" falling under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. In view of the above, it is notified that the name of Shri D. K. Agarwal shall stand removed permanently from the register of members from the date of publication of this notification.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT-III/4/Ext./319/173]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 29, 2017/अग्राहायण 3, 1939

No. 451]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 29, 2017/AGRAHAYANA 3, 1939

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2017

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-338/2017.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश मामला सं. 1/2014 में तारीख 2 अगस्त, 2017 को यह आदेश किया है कि श्री सतीश कुमार गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1, नवयुग मार्केट, दूसरा तल, गाजियाबाद-201001 (सदस्यता सं. 070260) के नाम को, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अंतर्गत आने वाले 'अन्य अवचार' का दोषी पाए जाने के कारण तीन मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त श्री सतीश कुमार गुप्ता का नाम 01.12.2017 से 28.02.2018 तक तीन मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा। पूर्वोक्त अवधि के दौरान, वह माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने के हकदार नहीं होंगे।

वी. सागर, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./320/17]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up under an Act of Parliament)**

New Delhi, the 17 November, 2017

NOTIFICATION**(CHARTERED ACCOUNTANTS)**

No.29-CA/Law/D-338/2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Allahabad has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Referred Case No. 1/2014, ordered on 2nd August, 2017 that the name of Shri Satish Kumar Gupta, Chartered Accountant, 1, Navyug Market, 2nd Floor, Ghaziabad- 201001 (M.No. 070260) be removed from the Register of Members for a period of three months for having been found guilty of "Other Misconduct" falling under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby notified that the name of the said Shri Satish Kumar Gupta shall stand removed from the Register of Members for a period of three months from 01.12.2017 to 28.02.2018. During the aforesaid period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Allahabad.

V. SAGAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./320/17]